मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ

फोन नं0–0522–2614721 ई मेल–lkomdm@gmail.com Website: www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-3082 /2022–23 दिनांक: 30 जनवरी, 2023

सेवा में,

1. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस प्रथम चरण माह फरवरी, 2023 के क्रियान्वयन के सम्बंध में

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि 1 से 19 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिये प्रदेश में कृमि मुक्ति अभियान का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है। उक्त के संबंध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/एन0डी0डी0/09/2022–23/7307–2 दिनांक 04 जनवरी, 2023, जो समस्त जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सम्बोधित है, द्वारा अवगत कराया गया है कि इस वर्ष भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाना है, जिसमें कृमि मुक्ति हेतु गोली एल्बेण्डाजॉल खिलायी जानी है। कोविड पेंन्डिमिक के दृष्टिगत अभियान के आयोजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के निर्देशों का पालन सम्पूर्ण रूप से किया जाना अतिआवश्यक है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस दिनांक 10 फरवरी, 2023 को आयोजित किया जायेगा एवं छुटे हुये बच्चों को आच्छादित करने के लिए दिनांक 13–15 फरवरी के मध्य मॉपअप चरण आयोजित किया जाना है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 से 19 वर्ष तक के सभी छात्र/छात्राओं को शिक्षकों के माध्यम से एल्बेंण्डाजॉल गोली 400 मि0ग्रा0 पूरी गोली खिलाई जानी है। एल्बेंण्डाजॉल की गोली चबाकर अथवा पीस कर/चूरा बनाकर खाई जानी है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी, 2023 को अनुपस्थिति या अन्य कारणों से एल्बेण्डाजॉल गोली खाने से वंचित रह गये हों, उन बच्चों को मॉप अप दिवस के दौरान दिनांक 13–15 फरवरी के मध्य स्कूलों पर दवा खिलाये जाने की कार्यवाही की जानी है।

उक्त कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दिए जाने हेतु जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिनमें जनपद एवं ब्लाक स्तर के विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों की ओरिएन्ट किया जा रहा है। अभिमुखीकरण के दौरान ही प्रतिभागियों को एन.डी.डी. किट (टैबलेट एल्बेण्डाजॉल, बैनर एवं हैण्डऑउट विद रिपोर्टिंग प्रपत्र) उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के आयोजन से पूर्व निम्न तैयारियाँ सुनिश्चित की जाये :–

- स्कूलों में पंजीकृत छात्रों की सूची आशा से साझा करें ताकि आशा स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की सूची तैयार कर सके।
- कार्यक्रम से पूर्व शिक्षक, समुदायिक जागरूकता गतिविधियों जैसे–प्रभात फेरी, अभिभावक– शिक्षक बैठक (PTM) स्कूल प्रबंधक समिति की बैठक में कृमि मुक्ति से लाभ के बारे में चर्चा करेंगे।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को उपस्थिति रजिस्टर में गोली खिलाने के बाद एक (√)का निशान लगाना है।

- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दिन छूटे हुए बच्चों को मॉप–अप सप्ताह को एल्बेन्डाजोल की गोली खिलाना एवं उपस्थिति रजिस्टर में दो सही (√√) का निशान लगाना आवश्यक है।
- शिक्षक भरे हुए रिपोर्टिंग फार्म की एक प्रति सत्यापन के लिए स्कूल में संभाल कर रखें।
- जिला शिक्षा अधिकारी, निजी विद्यालय सहित अन्य सभी स्कूलों के दूरभाष नंबर की सूची शिक्षा विभाग के सम्बन्धित राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सभी स्कूलों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
- स्कूलों में उपलब्ध कराये गये विफ्स रजिस्टर एवं व्यक्तिगत अनुपालन प्रपत्र (विफ्स कार्ड) में छात्रों को खिलाई गई एल्बेण्डाजाल की गोली की प्रविष्टि की जाये।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के क्रियान्वयन हेतु विशेष निर्देश–

- एल्बेंण्डाजोल की गोली चबाकर खाने वाली है। अतः बच्चों को गोली चबाकर खिलाई जाये। बिना चबाकर गोली खाना फायदेमन्द नहीं है।
- स्कूलों एवं आंगनवाडी केन्द्रों पर साफ कटोरा, चम्मच एवं पीने का पानी उपलब्ध हो। उक्त गतिविधि के दौरान कोविड–19 हेतु जारी किये गये सभी प्रोटोकॉल दिशा–निर्देशों जैसे सामाजिक दूरी, मास्क, ग्लब्स का उपयोग, व्यक्तिगत स्वछता इत्यादि का पालन करना किया जाये।
- यह सुनिश्चित करें कि बच्चा बीमार तो नहीं है अथवा बच्चा पूर्व से किसी प्रकार कि बीमारी की दवा नहीं खा रहा है (साथ ही माता–पिता/अभिभावक से यह भी पूछें कि बच्चे को किसी कोविड–19 से ग्रसित व्यक्ति से संपर्क तो नहीं हुआ हैं) यदि ऐसा है तो यह सुनिश्चित करे कि ऐसे बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा नहीं खिलायी जायेगी।
- बच्चों को कृमिमुक्ति दवा खिलाने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि बच्चे में सर्दी, खाँसी, बुखार, साँस लेने में तकलीफ आदि कोई लक्षण तो नहीं है। ऐसे बच्चे को कृमिमुक्ति की दवा नहीं खिलायी जायेगी। **(माता–पिता/अभिभावक को किसी भी परिस्थिति में एल्बेंण्डाजोल की गोली घर ले जाने हेतु नहीं दिया जाये)।**
- कृमि मुक्ति कार्यक्रम के दौरान सभी व्यक्तियों से सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करेगी।
- बच्चों को केन्द्र पर बुलाने के दौरान मास्क, ग्लब्स एवं सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाये। खांसी या छींक आने पर अपने मुंह और नाक को अपनी मुड़ी हुई कोहनी या रूमाल का प्रयोग एवं अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें।
- सर्दी/खाँसी या बुखार के लक्षण हो अथवा वह किसी कोविड–19 से संबंधित संवेदनशील समूह अथवा Containment Zone से आती हों या उनके परिवार में कोई कोविड–19 से ग्रसित हो तो उन्हें नियमानुसार क्वारंटाइन में रहने के उपरान्त ही कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करें।
- एल्बेंडाजोल की गोली खिलाये जाने हेतु स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में काउन्टर की स्थापना एवं बच्चों के उम्र के अनुसार गोली को चूर कर दिये जाने हेतु चम्मच की व्यवस्था।
- कृमि संक्रमण की अधिकता के कारण कुछ मामूली प्रतिकूल लक्षण जैसे–चक्कर आना, जी मचलाना, सरदर्द, उल्टी, दस्त, थकान जैसा अनुभव होने की संभावना हो सकती है। ये कुल समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के प्रतिकूल लक्षण की स्थिति में बच्चे को खुले एवं छायादार स्थान पर लिटाया जाये तथा साफ स्वच्छ पेयजल दिया जाये।
- शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस तथा मॉप–अप सप्ताह से पहले आशा, ए.एन.एम, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का दूरभाष नं सभी विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध हो ताकि किसी भी गंभीर प्रतिकूल लक्षण होने पर संपर्क सूची में दर्ज स्थानीय आशा, ए.एन.एम, आर.बी.एस.के मोबाइल टीम, सम्बन्धित एम.ओ.आई.सी., जिला नोडल अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित किया जा सके। ऐसी स्थिति में परिजनों को सूचित करते हुए आकस्मिक परिवहन व्यवस्था 108 के माध्यम से प्रभावित बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर पंहुचाया जाये।

- कृमि मुक्ति की दवा खिलाने हेतु मिड डे मील तक का इंतजार न करें तथा प्रथम सत्र (सुबह) में ही बच्चों को दवा खिला दें क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एल्बेंण्डाजोल/कृमिमुक्ति की दवा खाली पेट भी खिलाई जा सकती है और इससे कोई परेशानी नहीं होती है तथा यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

उक्त के क्रम में अपेक्षित है कि दिनांक 10 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस आयोजन के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक छात्र/छात्राओं को इसका स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराया जा सके।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
3. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक